Uniform criteria for DTH companies and pay channels

*582. SHRI MAHENDRA MOHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to TRAI regulations for CAS, each consumer must pay a maximum of Rs. 5 for every pay channel, while there is no such stipulation for DTH, as the regulator believes competition provides sufficient price control;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are taking any action to provide level playing field and enforce uniform criteria for the DTH companies to offer channels as per the choice of viewers; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has informed that in large parts of the country, the incumbent cable TV services are not required by regulatory mandate to provide their services through an addressable system. CAS has been mandated for cable TV services in notified areas which is a very limited part of the country. Throughout the non-CAS areas, the incumbent cable television operators, who enjoy the dominance in the market, are not required by any regulatory mandate to introduce an addressable system. Therefore, regulation of pricing for DTH services is likely to be interpreted to mean that the new entrant DTH operators are asymmetrically regulated against the incumbent mode of delivery, which has dominant market share.

(c) and (d) The cable TV network services which have dominant market share are not required by any regulatory mandate to introduce addressable systems. Therefore, Government do not think it fit to regulate pricing for DTH services which have inbuilt addressable system. However, TRAI is free to intervene at any point of time against any retail or wholesale tariff of DTH operators in any part of country if such tariff packages are found to be not consumer friendly or not transparent in the offer.

श्री महेन्द्र मोहन : माननीय सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आज नंबर आ गया, नहीं तो ऐसा प्रतीत होता था, क्योकि जितने प्रश्न पूछे जा रहे थे, नंबर नहीं आएगा। सर, मेरा यह प्रश्न आम जनता से संबंधित हैं। जब CAS और DTH लागू किया गया था,तो आशा की गई थी कि आम जनता को कम खर्चे पर आसानी से TV देखने को मिलेगा, लेकिन आज यह हो रहा हैं कि CAS द्वारा पर चैनल पांच रूपए जो एक मैक्सिमम दर थी, उसको मिनिमम करके चार्ज किया जा रहा हैं और विशेष रूप से फ्री टू एअर चैनल्स हैं, उनके लिए भी CAS और DTH वाले लोगों से पैसा ले रहे हैं। कम से कम जो फ्री टू एअर चैनल्स हैं, उनके लिए सरकार की ओर से CAS और DTH वालों को आदेश दिए जाएं कि ये चैनल्स जनता को फ्री में दिखलाएं जाएं, उनका कोई भी पैसा उनसे न लिया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार क्या कर रही हैं? क्योकि इसका बहुत गलत प्रयोग हो रहा हैं यह मेरा पहला सप्लीमेंटरी हैं। सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए कि फ्री टू एअर चैनल्स जनता को फ्री में दिखलाए जाएं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य को पहले यह बता देना चाहता हूं कि फ्री टू एअर चैनल्स की कोई फीस नहीं होती हैं, उनको बेसिक कंपोनेंट टिअर की सर्विस का पेमेंट करना होता हैं, जिसको सर्विस चार्ज कहा जाता हैं और वह इतना मामूली हैं कि CAS के हिसाब से, 30 से आगे भी चैनल चले, तो 77/- रूपए से उसका काम चल जाता हैं। इसका मतलब एक-एक फ्री टू एअर चैनल के लिए ढाई रूपए से कम से या थोड़ा-बहुत दस पैसा ज्यादा लगता हैं। यह उसको देना ही पड़ता हैं, क्योकि बेसिक टिअर फी स्वीकृत हैं, नहीं तो केवल वाले कैसे दिखलाएंगे। जहां तक पे-चैनल का है,निश्चति रूप से हमने पांच रूपए कर दयिा हें, ताकि सबको उसका चैनल उपलब्ध हो। इससे केबल वाले और हमारे ग्रहक, दोनो खुश हैं। जहां तक DTH का हैं, वह अलग हैं, उसके लिए केबल की जरूरत नहीं होती हैं। DTH जहां जहां पहुंच गया, उनका पूरा खर्चा CAS से कम होता हैं। मेरे पास ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर आदरणीय सांसद चाहें तो मैं डिटेल में उनको पेश कर सकता हूं।

श्री महेन्द्र मोहन :बहुत-बहुत आभारी हू, मैं उन आंकड़ो को पाना चाहूंगा सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल DTH पर और CAS के द्वारा दिखलाए जा रहे हैं, इनको जो लोग देखते हैं, जो जनता देखती हैं उन्हीं से दो रूपए या ढाई रूपए के हिसाब से पैसा नहीं लिया जाता हैं, बल्कि DTH ऑपरेटर्स और CAS ऑपरेटर्स जो चैनल्स हैं, उसके जो प्रोडयुसर्स हैं, उधर अपने चैनल्स को दिखाने के लिए उनसे अनाप-शनाप पैसे लेकर एकत्रित करते हैं। वहां से भी वे पैसा पाते हैं और ये जो फ्री टू एअर चैनल्स है, इसमें भी DTH ऑपरेटर्स सारे चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि दो रूपए या ढाई रूपए में दिखलाया जाए, यह अच्छी बात हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर रहा हैं कि दो रूपए में दिखला रहा हो, बल्कि ये मिनिमम 107/- रूपए

ले रहे हैं। दोनो के नियम एक होने चाहिए, दो रूपए या ढाई रूपए पर चैनल लिया जाए। वही सही है, लेकिन उन्हे यह भी आदेश दिए जाएं कि फ्री टू एअर चैनल्स को, बगैर चैनल्स के जो ऑपरेटर्स है, जो आपके चैनल्स उको दिखला रहे हैं, चाहे टाटा स्काइ दिखला रहा हैं या जी दिखला रहा हैं, जो फ्री टू एअर चैनल्स हैं, उन्हे फ्री दिखलाएं। यह मेरा आपसे निवेदन हैं और उधर ऑपरेटर्स से पैसा न लिया जाए, जो कि यह कंटेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजर दास मुंशी : सभापति जी, बेसिक टिअर की फी लेकर इसको हम कैसे लगाएंगे? फ्री टू एअर का मतलब यह नहीं हैं कि पूरा फ्री धुस गया हैं। ऐसा नहीं हैं। उनको तो एक माध्यम के द्वारा भेजना हैं, एक माध्यम की तरह उसको पेश करना हैं और उस माध्यम के लिए बेसिक टिअर भी होता हैं।

श्री सभापति : क्या बोल गए आप?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सर, मैंने कहा कि फ्री टू एअर का मतलब यह नहीं हैं कि पूरा मुफ्त में आप घर में धुस जाए। उसको घुसाने के लिए भी कोई इंतजाम करना चाहिए और उस इंतजाम के लिए बेसिक टिअर फी तो लेना ही चाहिए। यह जो अभी सर्विस टैक्स हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता हैं। .....(**व्यवधान**)....

श्री महेन्द्र मोहन : जरूर लें। दो, ढाई रूपए जरूर लें, लेकिन लाखों रूपए उधर से ले रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : आप सुनिए तो ...(**व्यवधान**)... एक मिनट। हमारे पास ऐसी कोई निश्चित शिकायत किसी ग्राहक ने अभी तक नहीं की हैं कि मुझे ठगकर, जो रेट हैं उससे, ज्यादा पैसा मेरे से वसूल किया गया हैं। अगर एक भी शिकायत आएगी, तो उनका लाइसेंस तुरंत रद्द करने का हमारे पास प्रावधान हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Camps for Sri Lankan refugees

*58.3. DR. K. MALAISAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether the refugees who fled to Indian refugee camps from Sri Lanka during the recent encounter between LITE and the Sri Lankan